

[illegible]

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्पा

दैनिक

भारतीय बस्ती

बस्ती-22 दिसम्बर 2024 रविवार

सम्पादकीय

सांसदों की धक्का-मुक्की

जब देश की नई संसद में सदन की कार्यवाही शुरू हुई, तो विश्वास था कि देश में संसदीय मर्यादाओं को नई गरिमा मिलेगी। लेकिन हाल ही में संपन्न शीतकालीन सत्र के दौरान हुए हंगामे ने देश के आम जनमानस को गहरे तक निराश ही किया। सदन पर सांसदों की धक्का-मुक्की और आरोप-प्रत्यारोपों ने उन मतदाताओं को ठेस पहुंचाई, जिन्होंने उन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना था। आरोप-प्रत्यारोप तो सांसदों की पुरानी परंपरा रही है, लेकिन इस बार तो बात धक्का-मुक्की से लेकर थाने तक जा पहुंची। ऐसे में सवाल किया जा सकता है कि जब हमारे माननीयों का व्यवहार ऐसा होगा तो आम आदमी से क्या उम्मीद की जा सकती है। दरअसल, महाराष्ट्र चुनाव में करारी शिकस्त से परत विपक्ष सरकार पर हमले के लिये मुद्दे की तलाश में था। उन्हें मुदा खुद गृहमंत्री अमित शाह ने दे दिया। संविधान के रचयिताओं में अग्रणी जी.बी.आर. अंबेडकर के बारे में शाह की टिप्पणी के बाद एनडीए और इंडिया गठबंधन के सांसदों के बीच आरोप-प्रत्यारोपों का सिलसिला कालांतर टकराव में बदल गया। निश्चय ही राजनेताओं के व्यवहार से देश-विदेश में कोई अच्छा संदेश नहीं गया। जिन सांसदों के हाथ में कानून की गरिमा बनाये रखने की जिम्मेदारी है, वे हाथ ही धक्का-मुक्की में लिप्त होने लगे। जो जनप्रतिनिधियों की कथनी-करनी के अंतर को ही दर्शाता है। सही मायनों में यह मतदाताओं का भी अपमान है जिन्होंने उन्हें चुनकर संसद में भेजा है। निस्संदेह, जब अमित शाह ने कहा कि डॉ. अंबेडकर का नाम जपना एक फ़ैशन बन गया तो ऐसा करके उन्होंने अपना कद कदापि नहीं बढ़ाया। इस तरह उन्होंने संविधान के जनक को एक अनावश्यक विवाद में घसीट लिया। महाराष्ट्र चुनाव में पराजय के बाद खस्ता हाल में आये विपक्ष को इस विवाद ने राजघर पर एकजुट हो हमलावर होने का अवसर दे दिया है। विपक्ष ने भी मुद्दे को तुरंत लपक लिया। लेकिन इस तरह के विवाद को असंसदीय ही कहा जाएगा।

कालांतर में स्थिति यहां तक पहुंच गई कि शाह की बयानबाजी के बचाव में खुद प्रधामंत्री को उतरना पड़ा। उन्होंने कांग्रेस पर राजनीतिक स्वार्थ के लिये दुर्भावनापूर्ण झूठ का सहारा देने का आरोप भी लगाया। निस्संदेह, डॉ. बी.आर. अंबेडकर एक ऐसे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जिनकी गरिमा को कोई भी राजनीतिक पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। यह स्पष्ट ही है कि राजनीतिक लाभ के लिए दलों प्रमुख पार्टियां उनकी विरासत पर कब्जा करने को यह खेल खेल रही हैं। उनका अमर्यादित व्यवहार इस स्थिति को और गंभीर बना देता है। विडंबना ही है कि ये रितियों तब पैदा हुई जब देश संविधान को अपना करने के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपुत्री समारोह आयोजित कर रहा था। दुनिया को यह बताने का प्रयास कर रहा था कि लोकतंत्र, न्याय और समानता की कसौटी पर यह जीवन वस्तावेज खड़ा उतरता है। निस्संदेह, इस बात में दो शाय नहीं हो सकती कि संविधान के आदर्शों को बनाये रखना सभी सांसदों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उनकी प्राथमिकता सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने की होनी चाहिए, न कि आरोप-प्रत्यारोप व टकराव की सीमाएं लांघने की। वे कम से कम लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादा और गरिमा को बनाये रखने का दायित्व तो निभा ही सकते हैं। यदि ऐसा न हुआ तो लोकतंत्र का यह मंदिर विश्वसन के रंगमंच में बदल जाएगा। साथ ही भारत के प्रवेश गुरु व विश्व बंधुत्व के नारे में भी कोई तार्किकता नहीं रह जाएगी। आज देश बेरोजगारी, महंगाई तथा विकास से जुड़ी तमाम समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे विवादों से तो मुछ्य मुद्दों से ध्यान भटकता है। जबकि जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकता जन कल्याण के रास्ते तलाशना होना चाहिए। निश्चित रूप से देश-दुनिया में इस विशालतम लोकतंत्र की कारगुजारियों का अच्छा संदेश तो कदापि नहीं जाएगा। हमारे जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए कि जनता के करों के पैसे से चलने वाले सदन ने शीतकालीन सत्र में क्या हासिल किया। निश्चित रूप से इस सत्र के दौरान होने वाले अग्रिय विवादों से देश-दुनिया में कोई अच्छा संदेश तो कदापि नहीं गया है।



—प्रियंका सौरभ—

सरकार ने महिला सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 जैसी पहल की है। इसने अंबेडकर की विरासत का सम्मान करने के लिए पंच तीर्थ स्थलों की निर्माण करके दलितों की गरिमा पर जोर दिया। ज्ञान (गरीब, युवा, अनपढ़ता, नारी) जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य दलितों सहित हाशिए पर पड़े समूहों को सशक्त बनाना है। हाल के वर्षों में भाजपा में दलितों का प्रतिनिधित्व काफी बढ़ा है। इन प्रतियों के बावजूद, जाति-आधारित भेदभाव जारी है, जिससे दलित व्यक्ति पर पेशाव करने जैसी घटनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल, जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम और पंच तीर्थ स्थलों का उद्देश्य दलितों के सम्मान और विमर्श को ऊपर उठाना है। भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर दलित नेताओं को अभूतपूर्व रूप से शामिल किया है। अंबेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धा राष्ट्र के लिए उनके दृष्टिकोण को अपनाने में निहित है, न कि केवल उनका नाम जगाने या उनकी छवि का आह्वान करने में। बाबासाहेब अंबेडकर एक पूजनीय व्यक्ति बने हुए हैं जो दलितों



की सम्मान और समानता की आकांक्षाओं के केंद्र में हैं। उनकी विरासत दलितों से आगे तक फैली हुई है, जो भेदभाव और राष्ट्र निर्माण पर व्यापक चर्चाओं को प्रभावित करती है। बाबासाहेब अंबेडकर की विरासत पर चल रहा राजनीतिक विवाद, इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे राजनेता, विशेष रूप से प्रमुख जातियों के, जाति-आधारित भेदभाव को स्मर्योचित किए बिना इसका शोषण करते हैं। यह इस बात पर जोर देता है कि दलित केवल पेशाव के लिए नहीं, बल्कि सम्मान, समानता और अवसरों के लिए लड़ते हैं और राष्ट्र के लिए अंबेडकर के दृष्टिकोण पर जोर देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अंबेडकर के सम्बंधों पर हाल ही में की गई टिप्पणियों ने आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था की निरंतरता पर चर्चाओं को फिर से हवा दे दी है। इन टिप्पणियों ने देश बात पर बहस छेड़ दी है कि क्या वे जाति-आधारित भेदभाव के खिलाफ

पड़े समूहों को सशक्त बनाना है। हाल के वर्षों में भाजपा में दलितों का प्रतिनिधित्व काफी बढ़ा है। इन प्रयासों के बावजूद, जाति-आधारित भेदभाव जारी है, जिससे दलित व्यक्ति पर पेशाव करने जैसी घटनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल, जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम और पंच तीर्थ स्थलों का उद्देश्य दलितों के सम्मान और विमर्श को ऊपर उठाना है। भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर दलित नेताओं को अभूतपूर्व रूप से शामिल किया है। अंबेडकर के विचार दलितों से परे हैं, जो सभी हाशिए पर पड़े समूहों के लिए भेदभाव और अस्मानता का समाधान प्रस्तुत करते हैं। ध्यान अतिरिक्त से हटकर सम्मान अवसर और शासन और प्रशासन में प्रतिनिधित्व की आकांक्षाओं पर केंद्रित हो गया है। अंबेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धा राष्ट्र के लिए उनके दृष्टिकोण को अपनाने में निहित है, न कि केवल उनका नाम जगाने या उनकी छवि का आह्वान करने में। बाबासाहेब अंबेडकर एक पूजनीय व्यक्ति बने हुए हैं, जो दलितों की सम्मान और समानता की आकांक्षाओं के केंद्र में हैं। उनकी विरासत दलितों से आगे तक फैली हुई है, जो भेदभाव और राष्ट्र निर्माण पर व्यापक चर्चाओं को प्रभावित करती है। अंबेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धा राष्ट्र के लिए उनके दृष्टिकोण को अपनाने में निहित है, न कि केवल उनका नाम जगाने या उनकी छवि का आह्वान करने में। बाबासाहेब अंबेडकर एक पूजनीय व्यक्ति बने हुए हैं जो दलितों

दलित आंदोलन लचीलेपन और आकांक्षाओं की विरासत पर आधारित है। दशकों से दृष्टिकरण की राजनीति ने दलितों को वंचित रखा है, कुछ लाभ प्रदान किए हैं जबकि समानता की उनकी आकांक्षाओं को दबा दिया है। अंबेडकर की विरासत पर बहस आधुनिक भारत में जातिगत भेदभाव की निरंतरता को रेखांकित करती है। जाति मानव समानता और सम्मान के साथ सबसे महत्वपूर्ण विश्वासघात बनी हुई है, जो सच्ची सामाजिक प्रगति में बाधा डालती है। जाति-आधारित पूर्वाग्रहों को चुनौती देने और समुदायों में अपनी सम्मान को बढ़ावा देने के लिए अभियानों और शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करें। भेदभाव विरोधी कानूनों को लागू करें और जाति-आधारित हिंसा और अस्मानता के लिए कठोर दंड का प्रावधान करें। दलित और अन्य हाशिए के समूहों के प्रति विद्या, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के अवसरों तक पहुंच का विस्तार करें। सामूहिक गौरव को प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर अंबेडकर जैसे दलित नेताओं के योगदान को पहचानें और उनका सम्मान करें। शिक्षकों को दूर करने और विश्वास बनाने के लिए समुदायों के बीच खुली चर्चा की सुविधा प्रदान करें। राजनीतिक नेतृत्व से विभाजनकारी बयानवाजी से बचने और सामाजिक न्याय के लिए नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करें। समावेशीता सुनिश्चित करने के लिए शासन, शिक्षा और नियंत्रण सेने वाली संस्थाओं में दलितों का प्रतिनिधित्व बढ़ाएं। हाशिए के समुदायों के भीतर समानता और सम्मान की वकालत करने वाली स्थानीय पहलों का समर्थन करें।

भाजपा के खिलाफ एकजुट विपक्ष



—राहिल नोरा चोपड़ा—

कांग्रेस की महत्वपूर्ण चुनौती हार के मद्देनजर, सहयोगी दल सत्ता समीकरणों को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पार्टी से गठबंधन में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को सही ठहराने के लिए कहा है, न कि इसे हटके में लेने के लिए। जबकि टी.एम.पी. प्रमुख मन्ना बन्नजी ने इस पद को हासिल करने के लिए कदम बढ़ाया है और शरद राव और लालू प्रसाद जैसे क्षत्रपों का समर्थन प्राप्त कर इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व किया है। संसदीय पार्टी संगठन को नए सिरे से खड़ा करने के लिए जरूरी तालमेल दिखाई है और अब उन्नीस दलितों में आगामी विधानसभा चुनावों में अग्रिम केजरीवाल का समर्थन करने का फैसला किया है, जिन्हें कोशिश चुनौती दी है। उद्बुद ठाकरे ने हिंदुत्व विचारकों के स्वतंत्रता सेनानी सावरकर के लिए भारत रत्न की मांग की। उनकी हिंदुत्व साख को पुनः प्रभाव करने का प्रयास राहुल गांधी के सावरकर के खिलाफ लातवार अभियान के बिन्दुवत् निरपत्ते पर सहयोगी ने अपनी विचारों को सही ठहराने के साथ खुद को अलग पाया है, जिसमें टी.एम.पी. और सभा ने भी उसका साथ दिया है।

विपक्ष ने पार्टी लाइन से हटकर केंद्रिय गृह मंत्री अमित शाह को मॉडरेटन से हटाने की मांग की। उन राय राजस्वसे में अपने बयान में डा. बी.आर. अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। कांग्रेस अक्षय मल्लिकानाई खरने ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा और आर.एस.एस. पर अंबेडकर के योगदान को कमजोर अंकने का आरोप लगाया। किश्वर 'आप' सूत्रीय अरविंद केजरीवाल ने तैरेया प्रमुख पन. चंद्रमूढ़ नायडू, और बिहार के बंगबन्नी नीतीश कुमार को पत्र लिखे। दोनों भाजपा के प्रमुख सहयोगी हैं। केजरीवाल ने शाह पर 'लाखों लोगों की भावनाओं को ठेस

एक साथ चुनाव की आकांक्षा



—अशोक लवासा—

बेकव एक देश-एक चुनाव की व्यवस्था के कई कारकों हैं, लेकिन दसकभर बाद लागू होने वाले इस कानून को लेकर सरागांधी की जल्दबाजी दिलचस्प है। क्या चुनाव देने में दक्षता से महत्वपूर्ण और मुद्दे देने के समाने नहीं है। यू.पी सरकार के पक्ष में या खिलाफ मतदान का अहि ज्वार लोकतंत्र का अनिवार्य तत्व है। नीरवत व्यवस्था में भी इतनी तो लोच है कि चुनाव आयोग कुछ सहेशन एक साथ करवा सकता है। महासला और विधायिका प्रतिनिधि के बीच संबंध मांग और आपूर्ति जैसा है। लोकतंत्र में जगता द्वारा चुनकर आए प्रतिनिधि वोटर की आकांक्षाओं की पूर्ति करने की दिशा में काम करते हैं। सारलक्ष्य पार्टी जगत अपने चुनावी वादों पर अमल करने की कोशिश करती है वहीं कभी-कभी अनाह वह दृष्टिकोण लागू करने को काम करती है, जो उसको हिसाब से लोगों और देश के लिए अच्छा है। एक राष्ट्र-एक चुनाव का संकल्प भाजपा के चुनाव घोषणापत्र का हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन समाज के किसी भी वर्ग द्वारा इसकी मांग नहीं की गई थी, हालांकि कुछ लोगों को लगता है कि भारत बहुत अधिक लोकतंत्र से प्रगत है। किंतु, सारलक्ष्य पार्टी एक देश-एक चुनाव की खुबियों को लेकर काफी आश्वस्त है, यह उद्देश्य नेतृत्व द्वारा बार-बार किए दायों और जिस प्रकार का मसीहा राम न्याय कोविंद समिति बनाते तब सही माया था, उससे स्पष्ट है। इराक़ी सिकरिश्त पहले से तब निम्नर्ष है, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने इस पर काम किया, उसने कई लोगों को चौंकाया। खंडित जनदेश से टिकी एंटीएनएस सरकार से बहुत कम लोगों को उम्मीद थी कि इस बार मतले को इतनी निराल से आगे बढ़ाएंगी, खासकर जब इस पर कार्यनिर्णय होना दूर की कोड़ी है। एक व्यवस्था जो एक दशक बाद लागू होगी है, उस पर कानून बनाने की सरकार की जल्दबाजी वाली 'दूरदर्शिता' दिलचस्प है। सत्ता 2024 के आम चुनाव से पहले महिला आयोग



विधेयक (नारीशक्ति वंदन अधिनियम) पारित करने में इसी किस्म की तत्परता दिखाई की। फर्क यह कि महिलाओं वाला विधेयक पारित करने में सभी पक्ष एकमत थे, वहीं एक देश-एक चुनाव संकें 129वें संविधान संशोधक कि विधेयक की संघनीयता पर मतेभेद हैं। सरकार को विधेयक संसुध संसदीय सभितो को बनाने में आपत्ति नहीं हुई क्योंकि उसे पता था इससे विपक्ष संसुध होगा और उसकी अपनी खुली सत्त झटकेगी। जल्दबाजी में विधेयक पारित करना उद्देश्य नहीं हो सकता, इस पर पलट पर लागू और आम सहमति की संभावना खोजना मंथ्य है ताकि लेने में वे 'बड़े' चुनावी सुधार पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है? संविधान में इस आशय का स्पष्ट प्रावधान है कि मात्र, 1961 में चुनाव से 15 वर्ष बाद देशभर में चुनाव एक साथ हो सकते हैं। लेकिन सत्ता जगनीति के कारण यह प्रस्ताव भी प्रतीक्षता के कारण एक पक्ष में या खिलाफ होट का हल लोकतंत्र का अनिवार्य तत्व है। बेकव वह विधेयक सारलक्ष्य पार्टी को दिया समर्थन वापस लेने का हक नहीं छीनता, लेकिन मतदाताओं को भी सशक्त बनाने का हक देता है, जो बीच-बीच में मतदान से बहुत कम लोगों के बावजूद बाकी अधिक के लिए राय करती रहे। इस प्रकार एक निरवधमान निर्रिध आशम सभित अविकल हेतु मार्ग प्रशस्त करेगा। इस तरह, जब चुनाव एक साथ करने के शक में मतदाताओं का मन में एक बार खेसने को एंटी टी.एम.पी. (सरकार) चुनने जिसके मुख्य खिलाडी 'सरकार' चोदित होना (बहुमत खाने) के बावजूद वह एफएसए माहदर्यमिनेन के रूप में शासन करती रहे। इस प्रकार, उधुचुनान में किसी संसद या विधानसभा संसदय को चुनने के लिए जो प्रमाणी सत्ता होगी, न वह कम याबधित चुनाव की स्थिति बनने पर पूरे सदन के लिए लागू हो जाएगी। संसद इस पर विचार कर सकते हैं कि क्या लोगों के अधिकारों को ऐसे तोड़ना-मरोड़ना लोकतंत्र का

सरकार और राजनीतिक दल पैसा, अपराध, जाति, समुदाय, चुनौती प्रक्रिया की ईमानदारी, उम्मीदवारों की अयोग्यता और चुनाव खर्च सीमा तय करने जैसे मुद्दे संबन्धी ठोस चुनौती सुधारों को आगे बढ़ाएंगिना सुधार चुनाव आयोग ने भी दिया है और लिखित है। एक साथ चुनाव करवाने का उद्देश्य चुनावों पर सरकारों खर्च कम करना बताया जा रहा है, लेकिन चुनावों में कानों धन का इस्तेमाल रोकने और राजनीतिक फंडिंग के पारदर्शी तरीके खोजने के बारे में क्या? क्या विधेयक तथ्यांकित सुधारों के जरिये इन पर ध्यान केंद्रित करने को नहीं कह रहा। समय रहे, आदर्श आधार सहिता केवल एक निश्चित श्रेणी के सार्वजनिक व्यय पर रोक लगाती है, ताकि सारलक्ष्य दल को सरकारी संसंधन खर्च कर अनुचित लाभ में मिले। हैरानी यह कि सारलक्ष्य दल प्रमुख नीतिगत निर्णय लेने को चुनावों से परे पहले तब इंतजार क्यों करते रहते हैं और फिर उन्हें शासन में बाधा बनने वाला करते हैं। इससे आगे, किसी भी राज्य में चुनाव के मुद्दे उठ खड़े के मतदाताओं और राजनीतिक नेताओं से संबंधित होते हैं, इन्का असर न दूसरे राज्यों के मतदाता पर होता है और न और सरकार पर, जब तक कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व खुद प्रचार करने में न ला जाए और स्थानीय नेतृत्व को राज्य-स्तरीय मुद्दों का प्रबंधन करने से वंचित कर दे। क्या एक साथ चुनाव से निश्चित स्थानीय नियमों पर ध्यान गैर हो जाएगा और यह बात उन्ने स्थानीय वोटरों का प्रभावी प्रतिनिधि बनने के बजाय, अपने केंद्रीय नेतृत्व का बेनाम प्रतिनिधि बना देगी? चुनावों का कुशल संचालन होना संसुधित का खोत है, लेकिन लोकतंत्र को इससे कहीं अधिक की आवश्यकता है। जिस प्रकार सांसद दूर मीथ्ये पर चुनाव संचालन और अधिक कुशल बनाने के मुद्दे पर बहस में उमीदी जगते तब खर्च कर रहे हैं, उन्नेकी जगह वे यहीं और अभी से लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर लागू करें। राज्नी में बायु गुनवत्ता खलरकाल है, खासकर संसद के बाहर, कुशल का गितारा सत्र, नदियों का प्रदूषण, शैक्षिक संस्थाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की दयनीय स्थिति और सुविवरण का क्षरण सरकार के लिए अधिक तात्कालिक और दबावपूर्ण मुद्दे हैं और इन पर भी एक साथ चुनाव जितना ही ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत के नागरिक नाताधिकार का बार-बार प्रयोग करके नहीं थके, लेकिन वे एक सत्य जीवन जीने की आकांक्षाएं पूरी होने की प्रतीक्षा करते-करते थक चुके हैं—लेखक पूर्ण चाना आयुक्त हैं।

प्रतिगोपितायां चण्डा हाऊस रेड, येला, तीन एंव व्हॅलं के बीच रहीं, जिन्हेमे व्हॅलं हाऊस को 169 फीट्ट परमाणु स्थान था हुआ. 169 फीट्ट लेकर को दूसरे स्थान पर, 154 फीट्ट लेकर तीन हाऊस तीसरे स्थान पर एंव 140 फीट्ट रेड चौथे स्थान पर रही।

कार्यक्रम का संचालन जितेंद्र यादव जीत नैथे। कार्यक्रम में पुनीता पांडे, वमनकिशन गुप्ता, अभिषेक तिवारी, अमदी नाथ पांडे, प्रमिता शर्मा, अजितेश कुमार, सुमन दुबे, रेखा श्रीवास्तव, दुर्गम सुता, प्रमिता शुक्ला, त्रिज्या त्रिपाठी, नीलम श्रीवास्तव, निशु पुष्पावत, शालिनी श्रीवास्तव, अन्नु, सुशिता मन्ना, सुषिता पाण्डे, हिम अरोरा, अंकुश

गुप्ता, आशीष कर्षाण, प्रेरणा शर्मा, प्रमता प्रियंका, साक्षी मिश्रा, दीपाती नैथं, मया शुक्ला, सिमरन गुप्ता, शालिनी श्रीवास्तव, अभिगीता वेदिता, गुप्ता, शिखा बरनाल, रीया दुबे, खदीया परवीन, अंजलि वीरसिंह, अमित मिश्रा, राम स्वल्प यादव, सौरभ पाण्डे, अतुल पाण्डे, रश्मि गुप्ता, मनजीती सिंह, सजय तिवारी, मोहम्मद सारिक, कुशग्राम मिश्रा, दीप कमल सिंह, गोपाल सिंह, किरण के सिस्टन, ज्वेल थोमस शिवांश उपाध्द यादव, शुभम पटेल, रश्मि प्रकाश तिवारी अभिषेक कुमार धर्मेश तिवारी, गीतम प्रकाश, विवस कुमर चवुर्वेदी, अश्व कुमार पाण्डेव सहित अनेक शिषक शिक्षिकाओं के साथ-साथ खेल के नीली कोच और इन्टर मजिडुर रहे।

bhartiyabasti@gmail.com